सूची–१४ –फारम सं० ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– ~~[illegible]~~ 76/11

गणेश सिंह

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा,सदर, छपरा)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
10.06.2015	यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी,सदर, छपरा के आदेश ज्ञापांक 1392/आ0, दिनांक 20.10.2011 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार, पटना के द्वारा दुरभाष पर दिए गए निर्देश के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी सारण, छपरा एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एकमा के द्वारा दिनांक 08.09.11 को संयुक्त रुप से आमढाडी पंचायत के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की दूकान की जांच की गई। इन विक्रेताओं पर मुख्यमंत्री चावल महोत्सव के अन्तर्गत अतिरिक्त चावल के वितरण के क्रम में कूपन ले लेने की शिकायत की गई थी। आमढाडी पंचायत के कुल चार जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की दूकानों की जांच की गई, जिसमें गणेश सिंह भी थे। गणेश सिंह के द्वारा अपने बयान में स्वीकार किया गया कि 18 किलो चावल प्रति बी0पी0एल0 परिवार को 140 रूपया लेकर दिया गया है। जांच पदाधिकारी के द्वारा विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रदद् करने की अनुशंसा की गई। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर, छपरा के ज्ञापांक 588 आ0 दिनांक 18.05.11 एवं ज्ञापांक 829 आ0 दिनांक 09.07.11 के द्वारा विक्रेता से कारण पृच्छा किया गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया जिसे असंतोषजनक पाकर अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विक्रेता की अनुज्ञप्ति रदद् कर दी गई, जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है। अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के द्वारा अपने उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री चावल महोत्सव के तहत निर्धारित प्रावधान के आलोक में 20 किलो चावल 135 रूपया लेकर दिया गया है। इनके विरूद्ध लगाया गया सभी आरोप गलत है। इनके उपभोक्ताओं को इनसे कोई शिकायत नहीं है। इस संबंध में संबंधित उपभोक्ताओं के द्वारा विक्रेता के पक्ष में आवेदन दिया गया है,	

जो अभिलेख में रक्षित है। विकेता के कुछ विरोधियों के द्वारा विकेता के विरूद्ध उन्हें परेशान करने के नीयत से गलत आरोप लगाए गए है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से विकेता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में आचरण न करके गंभीर अनियमितताएं बरती गई है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करना उचित प्रतीत होता है।

उक्त पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश (1392/आ0, दिनांक 20.10.2011) एक मुखर आदेश नहीं है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विकेता को उपभोक्ताओं से प्राप्त बयान की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी है, या न ही अपने कारण पृच्छा में उपभोक्ताओं का नाम एवं उनके द्वारा लगाए गए आरोपो का उल्लेख ही किया गया है। इस तरह विकेता से किया गया कारण पृच्छा अपने आप मे अपूर्ण एवं अस्पष्ट है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुये इस निर्देश के साथ अभिलेख को रिमांड किया जाता है कि विकेता को सभी प्रासंगिक कागजातों की प्रति उपलब्ध कराते हुये पुनः सभी बिन्दुओं पर कारण पृच्छा किया जाय, विकेता को सुनवाई का एक मौका दिया जाय एवं विकेता से प्राप्त जवाब के आलोक में अभिलेख प्राप्ति के चार सप्ताह के अंदर एक विधि सम्मत मुखर आदेश पारित किया जाय।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

10/06/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

10/06/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 391 /दिनांक 10/6/15

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी सदर, छपरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- विद्वान विशेष लोक अभियोजक, 7 ई0सी0, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0 सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10/6/15

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।